प्रेस नोट **दिनांक 01.01.2021**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना बिनौली पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम के अर्न्तगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ताष के 52 पत्ते व 2800 रूपये नगद बरामद।**

थाना बिनौली–पुलिस द्वारा ग्राम बरनावा से सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाकर ताष के पत्तो से जुआ खेलते हुए अभियुक्त 1–वसीम पुत्र अमीर अहमद 2–दानिष पुत्र हारूण निवासी गण ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से ताष के 52 पत्ते व 2800 रूपये नगद बरामद किये गये। अभियुक्तो के विरूद्व थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **षस्त्र अधिनियम के अर्न्तगत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 तमंचे 05 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद।**

थाना दोघट–पुलिस द्वारा मिलाना पुलिया से अभियुक्त 1–षमषाद पुत्र इस्लामुदीन निवासी ग्राम मिलाना थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रमाला–पुलिस द्वारा असारा सूजती रोड से अभियुक्त 1–सलीम पुत्र समयदीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बागपत–पुलिस द्वारा कस्बा बागपत से अभियुक्त 1–अंकित उर्फ भाडू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बाघू थाना बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्त के विरूद्व थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना चांदीनगर–पुलिस द्वारा मु0अ0स0 237/2020 धारा 147,148,149,307,323,504,506,427 भादवि में वांछित अभियुक्त 1–विनोद पुत्र नाहर सिंह 2–सनी पुत्र विनोद 3–मोनू पुत्र विनोद निवासी ग्राम सिखेडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा 48 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर बन्द पडे मकान में छिपा देने का नामित आरोपी गिरफ्तार।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1–धर्मेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

दिनांक 01.01.2021 को ग्राम मलकपुर से सुबह समय करीब 09:30 बजे थाना बडौत पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 1121/2020 धारा 302,201 भादवि व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट के नामित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त ग्राम मलकपुर थाना बडौत में मुक्दमा उपरोक्त के वादी सचिन के पिता सुनील उम्र करीब 48 वर्ष का दिनांक 28.12.2020 को गांव के बाहर बने षमषान में बैठकर जुआ खेलते समय मृतक सुनील द्वारा जुअें मे पैसे हार जाने के कारण झगडा हो गया था। जिससे आवेष में आकर अभियुक्त द्वारा सुनील के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी तथा षव को गांव के ही सुकवीर के बन्द पडे मकान में छिपा देने की घटना कारित की गई थी।